2017/0091

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा
पीठासीन अधिकारीः श्री वासुदेव मालावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 99/2017 (अपील)

उनवान

दिनेश कुमार मीणा आत्मज श्री धन्ना लाल जाति मीणा निवासी ग्राम मण्डीता तहसील सांगोद जिला कोटा

(अपीलाण्ट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार ~~पीपल्दा~~ सांगोद, जिला कोटा

(रेस्पोडेण्ट)

उपस्थित :– 1. श्री हेमन्त कृष्ण विजय वर्गीय (अभिभाषक अपीलाण्ट)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
बनाराजगी आदेश दिनांक 17.01.2017 मिसल नम्बर 395/2016
न्यायालय तहसीलदार ~~पीपल्दा~~ सांगोद, जिला कोटा

निर्णय दिनांक : 29.07.2019

1. अपीलाण्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत संक्षेप में इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि, न्याय एंव तथ्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है।

2. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट की तलबी की गई। रेस्पोडेण्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुऐ।

3. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

4. अपीलाण्ट की ओर से उपस्थित विद्वान अभिभाषक का अपील बहस में कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को समुचित सुनवाई एंव साक्ष्य का अवसर प्रदान किऐ एंव माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 30.03.2015 की पालना किऐ बिना जैर अपील आदेश में जिस प्रकार 0.01 हैक्टयर भूमि पर अतिक्रमण बताया है, खसरा नम्बर 74 के कौन से भू भाग पर अतिक्रमण है, यह नहीं बताया गया है। पूर्व में माननीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 30.03.2015 से प्रकरण रिमाण्ड कर अतिक्रमण है या नहीं इस बाबत साक्ष्य पत्रावली पर लेकर विधि सम्मत निर्णय पारित करने के आदेश दिये गये थे। जिस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है, जबकि माननीय न्यायालय के दिशा निर्देश की पालना की जाकर ही निर्णय पारित किया जाना चाहिऐ था। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त फरमाया जावे।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट की बहस सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन करने पर यह पाते है कि वाके ग्राम मण्डीता की आराजी खसरा नम्बर 474 रकबा 0.01 के सम्बन्ध में इस न्यायालय की पत्रावली संख्या 98/2014 अपील दिनेश बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 30.03.2015 से तहसीलदार सांगोद का निर्णय दिनांक 22.08.2014 निरस्त किया जाकर

प्रकरण दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया था, अपीलाण्ट का प्रस्तुत अपील में मुख्यतः कथन है कि माननीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 30.03.2015 से प्रकरण रिमाण्ड कर अतिक्रमण है या नहीं इस बाबत साक्ष्य पत्रावली पर लेकर विधि सम्मत निर्णय पारित करने के आदेश दिये गये थे। जिस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है, जबकि माननीय न्यायालय के दिशा निर्देश की पालना की जाकर ही निर्णय पारित किया जाना चाहिऐ था। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

7. अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर योग्य अधीनस्थ न्यायालय का जैर अपील निर्णय दिनांक 17.01.2017 निरस्त किया जाता है। तथा तहसीलदार सांगोद को आदेशित किया जाता है कि वह इस न्यायालय के अपील प्रकरण संख्या 98/2014 बउनवान दिनेश बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 30.03.2015 की पालना सुनिश्चित करे।

8. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

9, निर्णय आज दिनांक 29.07.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

(वासुदेव मालावत)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा, जिला कोटा